फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

ढलिया बनाम देवाराम

किस्म मुकदमा .....225.आर.टी.एक्ट..... मुकदमा नंबर.....87.....सन.....2022.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
3/8/22	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2022 बउनवान देवाराम बनाम ढलिया में पारित आदेश दिनांक 06.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद वादग्रस्त आराजी के संबध प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा, साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट ने मूल खातेदार से खसरा संख्या 54 के रकबे में से 15 बीघा कृषि भूमि खरीद की थी, तथा खरीद की दिनांक से निरन्तर काबिज काश्त है एवं रेकर्डेड खातेदार है। कानूनन किसी भी रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट जैर अपील आदेश की आड में अपीलांट की खरीदशुदा व कब्जाशुदा आराजी से बेदखल करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति धन के रूप में संभव नहीं हो सकेगी। प्रकरण में इन हालातो में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की क्रियान्विति स्थगित की जावे। वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी के संबध प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा, साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 54 के रकबे में से 15 बीघा कृषि भूमि में से खरीद किये जाने एवं वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होने का कथन किया है। जिसके समर्थन में नामान्तरण संख्या 336 दिनांक 27.11.1975 पत्रावली पर संलग्न है। जिसके सम्बध में विचारण न्यायालय में अधिकार तय होने है। अगर अपीलांट को जैर अपील आदेश की आड में अपनी खरीदशुदा आराजी का उपयोग–उपभोग करने एवं मौके से बेदखल किया जाता है तो	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

इससे निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढेगी एवं अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। अत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के तीनो बिन्दु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। अत अंतरिम व्यादेश इस कदर सादिर किया जाता है कि सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2022 बउनवान देवाराम बनाम ढलिया में पारित आदेश दिनांक 06.04.2022 में आशिक संशोधन करतें हुए राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति को स्थगित किया जाता है, साथ ही उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी में मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर रोहट को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 18/2022 बउनवान देवाराम बनाम ढलिया के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) की पालना करते हुए उभयपक्षों को सुनकर 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी